

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

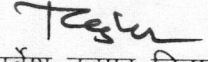
क्रमांक:- एफ.2 (क) (K-401) अलेसे-1/1509

दिनांक:- 19.01.2021

कार्यालय आदेश

श्री कर्मन्द्र स्वामी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (विकलांग), कार्यालय मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 04.01.2021 के आधार पर वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 25.04.2012 के अनुसरण में मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधितम रुपये 600/-) प्रति माह वाहन भत्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 04.01.2021 (चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा) से प्रभावी होगी।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (K-401) अलेसे-1/1509

दिनांक:- 19.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर
2. श्री कर्मन्द्र स्वामी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 कार्यालय मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर
3. अनुपालना पत्रावली


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)